...दावा/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई. जिसका प्रकरण दर्ज ... विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये ... से पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.3.12

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली पेश हुई ...
आदेश से रोहर

पत्रावली पेश हुई ... 5.12 को पेश हो।
आदेश से ...

पत्रावली को न्याय आपके दावा / किस कोर्ट में हुई / प्रार्थी ... उपस्थित / प्रार्थना पत्र स्वीकार किया / निर्णय ... ले लिया आपत्र संलग्न किया / पत्रावली फैसल ... रजिस्टर नंबर से खारिज /

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी-
...लाल
... बनाम
विपक्षी (2)

... विपक्षी (4)

प्रकरण संख्या :– 45/2017

1. कन्या लाल पिता भवाना नायक निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता सुवालाल काबारा, निवासी 92 विघुत नगर बास वाली गली भीलवाडा।
2. काना पिता ज्वारा तेली, निवासी सांगानेरी गेट राजस्थान नियार फैक्ट्री के पास भीलवाडा।
3. देवा पिता हजारी नायक, निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. जगदीश पिता मांगीलाल, तिवाडी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

---विक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 17.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि. 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 332 में स्थित आराजी संख्या 4124/2 रकबा 01–19 बीघा, आराजी संख्या 4124/3 रकबा 00–01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 332 में स्थित आराजी संख्या 4124/2 रकबा 01–19 बीघा, आराजी संख्या 4124/3 रकबा 00–01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 02–00 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। र्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/– अक्षरे दो सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में कोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर तान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना र्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। वली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा